

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT 2009-2010

Total Business
Rs. 4 Lakh Crore

Net Profit
Rs. 3000 Crore

Branches
3000

**3 Major Milestones
Crossed**



केनरा बैंक



Canara Bank

Together We Can



वार्षिक रिपोर्ट

2009-2010



ANNUAL REPORT

2009-2010

वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010

विषयवस्तु

1. नोटिस	1
2. प्रगति की एक झलक	28
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2009-2010	29
• प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	30
• केनरा बैंक 2009-2010 में	34
• निदेशक मंडल में परिवर्तन	67
• निदेशकों के दायित्व संबंधी वक्तव्य	67
• धन्यवाद	68
4. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	69
5. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	90
6. स्टैंडर्ड अलोन वित्तीय विवरण	91
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	92
• तुलन पत्र	94
• लाभ व हानि खाता	95
• तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ	96
• लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ	104
• लेखा नीतियाँ	106
• लेखा पर नोट	112
• पिलर 3 (बासेल II) प्रकटन	150
• नकद प्रवाह विवरण	183
7. समेकित वित्तीय विवरण	185
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	186
• समेकित तुलन पत्र	188
• समेकित लाभ व हानि खाता	189
• समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ	190
• समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ	197
• लेखा नीतियाँ	199
• समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	203
• समेकित नकद प्रवाह विवरण	213
8. नामांकन पत्र	215
9. घोषणा	217
10. प्रत्याशी के जीवनवृत्त का प्रारूप	219
11. उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पास	223
12. प्रॉक्सी फार्म	225

ANNUAL REPORT 2009-2010

CONTENTS

1. NOTICE	1
2. PROGRESS AT A GLANCE	28
3. DIRECTORS' REPORT 2009-2010	29
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	30
• CANARA BANK IN 2009-2010	34
• CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS	67
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	67
• ACKNOWLEDGMENT	68
4. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE	69
5. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	90
6. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	91
• AUDITORS' REPORT	92
• BALANCE SHEET	94
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT	95
• SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET	96
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT	104
• ACCOUNTING POLICIES	106
• NOTES ON ACCOUNTS	112
• PILLAR 3 (BASEL II) DISCLOSURES	150
• CASH FLOW STATEMENT	183
7. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	185
• AUDITORS' REPORT	186
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET	188
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	189
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	190
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	197
• ACCOUNTING POLICIES	199
• NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	203
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	213
8. NOMINATION FORM	216
9. DECLARATION	218
10. FORMAT FOR BIO-DATA OF THE CANDIDATE	220
11. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS	224
12. PROXY FORM	226

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक **सोमवार, 19 जुलाई 2010 को प्रातः 10 बजे ज्ञानज्योति सभागृह, सेन्ट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001** में आयोजित की जाएगी जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. " यथा 31 मार्च 2010 को बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे पर, तुलन पत्र व लेखों पर लेखा तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावर्तित अवधि के लिए बैंक के कार्यों व क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन व अंगीकृत करना "।
2. वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश घोषित करना।
3. निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया गया तो संशोधन सहित या रहित उसे पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि " बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक ("**आर बी आई**"), भारत सरकार ("**जी ओ आई**"), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ("**सेबी**") और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) / दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबंधित प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद "**निदेशक मंडल**" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है)

NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Monday, the 19th July 2010 at 10.00 a.m. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore – 560 001**, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2010, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2010, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2009-10.
3. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution)

को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं, को विनिर्दिष्ट करते हुए) एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बट्टा या प्रीमियम सहित, भारत में या विदेश में प्रत्येक रु 10 के अंकित मूल्य के इक्विटी/अधिमान शेयर (संचयी / गैर-संचयी / प्रतिभूतियां उतनी ही संख्या में प्रस्तावित, जारी और आबंटित करें जो किसी भी हालत में रु. 259 करोड़ (दो सौ और उनसठ करोड़ रुपये मात्र) से ज्यादा न हो और समग्र रूप से रु 2590 करोड़ (रुपये दो हजार पाँच सौ और नब्बे करोड़) से अधिक न होते हो जो रु 410 करोड़ की मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु 3000 करोड़ होते हों जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है या संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार वर्धित प्राधिकृत पूंजी की सीमा तक जो भविष्य में अधिनियम में इस प्रकार जोड़ी जा सके कि केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% से कम धारित नहीं किया जाए ।"

“आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, अधिमानी इश्यू और/या निजी प्लेसमेंट के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 (“आई सी डी आर विनियमावली”)

to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 259 Crores (Two Hundred and Fifty Nine crores Only) and aggregating to not more than Rs. 2590 Crores (Rupees Two Thousand and Five Hundred Ninety Crores) which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs 410 crores amounts to Rs 3000 crores, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank , whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”)

एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे ।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो ।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि तत्संबंधी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण के समझौते के प्रावधानों के अनुसार , बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बट्टकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या/ मंजूरीयों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर इक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनिमय योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि क्यू आई बी आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो बशर्ते कि इस प्रकार जारी इक्विटी शेयरों की किस्त को शामिल करते हुए मूल्य

and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR

आई सी डी आर विनियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्णित मूल्य से कम न हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में परिभाषित है) की तुलना में केन्द्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूंजी का 51% प्रतिशत से कम धारित न करता हो।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि क्यू आई पी के निर्गमन के मामले में प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार होगी।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक / सेबी / बैंक के शेयर सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेश को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियाँ को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जाने वाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को आबंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर

Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board”.

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act”.

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration”.

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each

किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामले और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।

“आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों/ बैंकरों/ हामीदारों/ निक्षेपागारों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों जो इस प्रकार के ईक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाती, शुल्क या अन्य ऐसे पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि / प्रतिभूतियों के रूपांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/ प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज दर, रूपांतरण अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत होता है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटारा किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।”

tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees. or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".


“आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेखों एवं लिखितों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत जरूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके जरिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक/कों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

4. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक {प्रबंधन और विविध प्रावधानज योजना, 1970 (इससे आगे "योजना" कहा गया) और अधिनियम की धारा 19 और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डी बी ओ डी संख्या बी.सी संख्या 46/29. 39.001/2007-08 दिनांक 1.11.2007 (इससे आगे 'भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना' कहा जाएगा) के अनुसरण में किये गये केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000 (इससे आगे "विनियम" कहा गया) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 (इससे आगे "अधिनियम" कहा गया) की धारा 9(3) (i) के अनुसार विधिमान्य नामांकन प्राप्त, केंद्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से 2 निदेशकों को चुनकर निम्न संकल्प पारित करने के लिए:-

“संकल्प किया जाता है कि तन्निहित योजना, विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के साथ पठित धारा 9(3) (i) के अनुसरण में केंद्र सरकार से अन्य बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशक चुने गये और 27 जुलाई 2010 से कार्यभार ग्रहण करके ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने तक (यानि 26 जुलाई 2013 तक) कार्यभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किये जायें।”

निदेशक मंडल के आदेशों से



स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 03.06.2010

ए सी महाजन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक


"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

4. To elect two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks {Management & Miscellaneous Provisions] Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and notification No. DBOD. NO. BC. NO. 46/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India (herein after referred to as "RBI Notification") and to pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and RBI Notification made thereunder, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2010 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2013)"

By Order of the Board of Directors



Place : Bangalore
Date : 03.06.2010

A C MAHAJAN
Chairman And Managing Director